

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
आदेश

क्रमांक सी/3763 /
(तीन-18-1/2016)

जबलपुर, दिनांक 19 सितंबर, 2016

(क) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/3644/तीन-18-1/2016, जबलपुर, दिनांक 09.09.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिला स्थापनाओं में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये न्यायालय अधीक्षक को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ किया जाता है अर्थात् :-

क्र०	न्यायालय अधीक्षक का नाम	कहाँ से	कहाँ को	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री राजेन्द्र कुमार झा	भोपाल	विदिशा	श्री सुखेन्द्र सिंह, न्यायालय अधीक्षक के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
2.	श्री सुखेन्द्र सिंह	विदिशा	सतना	रिक्त पद पर
3.	श्री प्रभु दयाल गुप्ता	रीवा	शहडोल	श्री अनिल कुमार बिड़ला, न्यायालय अधीक्षक के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर

(ख) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/3644/तीन-18-1/2016, जबलपुर, दिनांक 09.09.2016, जहां तक इसका संबंध श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायालय अधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर से न्यायिक जिला स्थापना शहडोल स्थानांतरण से है, निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर दिनांक 30.11.2016 तक कार्य करते रहेंगे।


(ग) श्री महेन्द्र कुमार सोनी, न्यायालय अधीक्षक, न्यायिक जिला स्थापना, टीकमगढ़ एवं श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, न्यायालय अधीक्षक, न्यायिक जिला स्थापना, होशंगाबाद द्वारा स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारोपरांत निरस्त किये जाते हैं।



(घ) श्री एस0 के0 चौरसिया, तत्कालीन लेखापाल, न्यायिक जिला स्थापना, जबलपुर, वर्तमान पदस्थापना न्यायालय उपाधीक्षक, न्यायिक जिला स्थापना, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण आवेदन पत्र विचारोपरांत निरस्त किया जाता है।

नोट :- श्री राजेन्द्र कुमार झा, तत्कालीन न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय, भोपाल तथा श्री सुखेन्द्र सिंह, न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय, विदिशा का स्थानान्तरण, उनके स्वयं के अभ्यावेदन एवं व्यय पर किया गया है। अतः उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा कार्यभार ग्रहण करने हेतु केवल यात्रा समय दिया जावेगा।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


{ मनोहर ममतानी }
रजिस्ट्रार जनरल
23/10

पृष्ठांकन क्रमांक सी/3764 /
(तीन-18-1/2016)

जबलपुर, दिनांक 19 सितंबर, 2016

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल/विदिशा/सतना/रीवा/शहडोल/ग्वालियर/टीकमगढ़/होशंगाबाद/जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
कृपया, संबंधित कर्मचारियों को उनकी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर, निर्देश देवें कि उनके द्वारा नई पदस्थापना पर दिनांक 03.10.2016 (तीन अक्टूबर सन् दो हजार सोलह) को अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि कृपया संबंधित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को यथाशीघ्र अवगत करावें।
2. रजिस्ट्रार (डी0ई0) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि म0 प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित,
4. अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
5. श्री राजेन्द्र कुमार झा, तत्कालीन न्यायालय अधीक्षक, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,
6. श्री सुखेन्द्र सिंह, न्यायालय अधीक्षक, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा,
7. श्री प्रभु दयाल गुप्ता, न्यायालय अधीक्षक, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा,

8. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायालय अधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर,
9. श्री महेन्द्र कुमार सोनी, न्यायालय अधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़,
10. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, न्यायालय अधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद,
11. श्री एसके चौरसिया, तत्कालीन लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, वर्तमान पदस्थापना न्यायालय उपाधीक्षक, न्यायिक जिला स्थापना ग्वालियर,

को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरित कर्मचारी अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर, इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 03.10.2016 (तीन अक्टूबर सन् दो हजार सोलह) को या उसके पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें।

19.09.16
{सनत कुमार कश्यप}
रजिस्ट्रार (डी०ई०)
R.M.

.....